संख्या-105 /2023/4748/नौ-5-2023/002-Computer No - 1445206

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी
संयुक्त सचिव
,उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) राज्य मिशन निदेशक(अमृत),नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(2) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 01 सितम्बर, 2023

विषय:- अमृत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त सैप-III के केन्द्रांश की धनराशि रू० 46020.50 लाख के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुसचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-K-16015/13/2017-AMRUT-II/AMRUT-1B, दिनांक 24-08-2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेंशन (अमृत) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त सैप-III के केन्द्रांश की धनराशि रू० 46020.50 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अमृत योजना के नगर निगम के राज्यांश मद से रू० 17806.32500 लाख एवं अमृत योजना के नगर पालिका परिषद के राज्यांश मद से धनराशि रूपये 17806.32500 लाख, कुल धनराशि **रूपयें 35612.65 लाख (रूपये तीन अरब छप्पन करोड़ बारह लाख पैसठ हजार मात्र)** निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये आपके निर्वतन पर रखे जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (अमृत योजना) के पदनाम से खुले राष्ट्रीकृत बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं इस संबंध में जारी शासनादेशों के सापेक्ष अवमुक्त की जायेगी।
(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय अमृत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
(3) उक्त धनराशि का व्यय अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन (AMRUT) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो प्रतिबन्धों , दिशा-निर्देशों एवं गाइड लाइन के अनुसार किया जायेगा।
(4) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय संख्या,- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) राज्य मिशन निदेशक,अमृत द्वारा सेन्टेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्यात-02/2023/ए-2-60दस/20-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) कार्यों की द्विरावृत्ति /पुनरावृत्ति न हो इसे भी राज्य मिशन निदेशक (अमृत) अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 1,78,06,32,500 (रुपये एक अरब अठहत्तर करोड़ छह लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217051918903 अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (*2*) रुपये 1,78,06,32,500 (रुपये एक अरब अठहत्तर

करोड़ छह लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217051928903 अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्सफारमेशन के अन्तर्गत सहायता **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9- 195-X-2023-24, दिनांक- 01 सितम्बर, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
01.09.2023
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-105 /2023/4748(1)/नौ-5-2023/002-Computer No - 1445206, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- मिशन निदेशक (अमृत), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- अपर परियोजना निदेशक, क्षेत्रीय एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
10- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
01.09.2023
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

Concurrence Sanction Report

Amount In : (Amounts in Lakhs of rupees)

नगर विकास

स्वीकृति आदेश संख्या: 002-Computer No - 1445206 **स्वीकृति तिथि:** 31/08/2023
यू0 ओ0 संख्या: A009-20232024-002-Computer No - 1445206
अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग
लेखाशीर्षक: 2217051918903 - अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	15,715.71	15,715.00	17,806.33	17,806.33
योग :	**15,715.71**	**15,715.00**	**17,806.33**	**17,806.33**

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

स्वीकृति आदेश संख्या: 002-Computer No - 1445206 **स्वीकृति तिथि:** 31/08/2023
यू0 ओ0 संख्या: A009-20232024-002-Computer No - 1445206
अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग
लेखाशीर्षक: 2217051928903 - अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्सफारमेशन के अन्तर्गत सहायता

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	11,250.00	11,250.00	17,806.33	17,806.33
योग :	**11,250.00**	**11,250.00**	**17,806.33**	**17,806.33**

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव